न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
11.10.21	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील रेस्पो. ने एक प्रा. पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वाद पत्र दि. 19.2.2021 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। इसलिये अब यह अपील चलने योग्य नहीं है। लिहाजा अपील खारिज की जावे। प्रा. पत्र की नकल वकील अपीलांट को दिलाई गई। प्रा. पत्र के साथ वकील रेस्पो. ने वाद पत्र में पारित आदेश दि० 19.2.2021 की प्रमाणित प्रति पेश की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही प्रा. पत्र के साथ पेश तहत अदालत द्वारा वाद पत्र में पारित आदेश दि. 19.2.2021 का भी अवलोकन किया। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि मूल वाद अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज हो गया है। चूंकि जब मूल वाद ही निस्तारित हो चुका है तो ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा (धारा 212 R.T. एक्ट) की यह अपील इन्फैक्चस (प्रभावहीन) हो चुकी है। अतः यह अपील प्रभावहीन होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो। X भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर	